

30D



न्यायालय राजस्व परिषद म.प्र. ग्वालियर. GFA/12

नवीन प्र. 234/209

प्रकरण R-234-I/09

Y. K. Jaiswal

प्याशेलाल पिता बालुजी धोसो.

निवासी मंदसौर

... आवेदक

विरुद्ध

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a date '26-2-09' and a signature 'Y. K. Jaiswal'.

1. श्रीतिनारायण पिता शिवनारायण कचप

निवासी प्रतापगढ़ रोड़, मंदसौर

2. भरतनारायण पिता शिवनारायण कचप,

निवासी प्रतापगढ़ रोड़, मंदसौर

3. धापुबाई बेवा सुन्नीलाल धोसो, निवासी

नयापुरा, मंदसौर

4- रामकुंवर बेवा बालुशुक्ल द्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ- कन्हैयालाल पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर

ब- हरिसिंह पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर

स- रतनलाल पिता बालु धोसो, निवासी नयापुरा, मंदसौर

5- सज्जनबाई पति गोपीलाल शुक्ल द्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ- तुलसीराम पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा मंदसौर

ब- प्रेमचंद पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा, मंदसौर

स- ~~रामलाल~~ रामलाल पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा मंदसौर

द- मिश्रीलाल पिता गोपीलाल निवासी नयापुरा, मंदसौर

6- नमदाबाई बेवा हीराबाई धोसो, निवासी नयापुरा मंदसौर

7- रूपाबाई पति उमरावसिंह धोसो द्वारा विधिक प्रतिनिधि

अ- नाथसिंह पिता उमरावसिंह निवासी नयापुरा, मंदसौर

ब- गीतिबाई उर्फ सुशीला पिता उमराव धोसो नि. आबकारी रोड़, प्रतापगढ़,

8- फुलीबाई बेवा नानुराम धोसो निवासी नयापुरा, मंदसौर

9- असगरअली पिता अब्दुलहसन निवासी बीहरा बाज मंदसौर ... आवेदक

Y. K. Jaiswal
26-2-09

Handwritten signature in blue ink.

रिविजन प्रथमा पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. मु. राजस्व

संहिता 1959 न्यायालय अनु विभागिय अधिकारी मंदसौर

के अधीन क्रं. 103/अपील/07-08 के पारित ज्ञानि



31.12.20 3 के परिषदांत होने को न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-234-एक/09

जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>	